न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 148 वर्ष 2024

आवेदक– चैता महतो		क्रेता– लखन महतो	
ग्राम– डुमर कुदर		ग्राम– डुमर कुदर	
थाना– कसमार	जिला–बोकारो	थाना– कसमार	जिला–बोकारो

आदेश की क्र0सं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्ष्र 02	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख 03

30/11/24

आदेश

यह वाद आवेदक चैता महतो, पिता–स्व0 श्याम महतो, वर्तमान पता–ग्राम– डुमर कुदर, थाना–कसमार, जिला–बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
डुमर कुदर	129	21	99	41 डी0	02 डी0	दोन एवं वर्त्तमान स्वरूप खेत

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 50,000/–(पचास हजार) रूपये में क्रेता–लखन महतो, पिता–सिदाम महतो, पता–ग्राम– डुमर कुदर, थाना–कसमार, जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 845/रा0, दिनांक 27.07.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी कसमार से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी कसमार के पत्रांक–590, दिनांक–25.09.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं किः–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में कान्हु महतो वगै0 के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0– 258, एवं भोलूम 01 में विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. खतियानधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध स्वयं का है। बिकी की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में कान्हु महतो वगै0 के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0– 258, एवं भोलूम 01 में विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैः–

01. बिकेता– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य हैं जो अत्यंत पिछड़ी वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिकेता एंव केता दोनों एक ही थानान्तर्गत एवं जिला अन्तर्गत के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः चैता महतो, पिता–स्व0 श्याम महतो, वर्तमान पता–ग्राम– डुमर कुदर, थाना–कसमार, जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
डुमर कुदर 129	21	99	41 डी0	02 डी0	गैरमजरूवा प्लॉट सं0 114/613	राम महतो	सुनिता देवी	सरला देवी
			कुल	02 डी0 (दो डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 50,000/–(पचास हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता–लखन महतो, पिता–सिदाम महतो, पता–ग्राम– डुमर कुदर, थाना–कसमार, जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.01 23:21:39 -08:00
Location: 192.168.1.34